

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 28/18 तारीख रज 23/11/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का रवैयापुरी बनाम
 श्री द्वी पुत्र मधुवा जाति मीना निवासी साथपुर तहसील
महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 14/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम मधुवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री द्वी ने ग्राम साथपुर को भूमि ख.न. 202 रकबा 0.02 किस्म चरागाह फसल रोबि / खसीफ संवत 20 74 में गोधू कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 202 रकबा 0.02 किस्म चरागाह वाके ग्राम साथपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.32 का 50 गुणा 16 रु शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल गोधू को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

e
 तहसीलदार
 तहसील-महवा (दौसा)
 तहसीलदार महवा

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 53 पर
 वर्ष 2017-18 की राशि कायमी वसूली
 की जमा कायमी 16 रु
 दिनांक 5/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
Peshy
 तहसील-महवा